



St. Aloysius

Institute of Technology, Jabalpur

आपका हार्दिक स्वागत करता है...

ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग

- ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस (टीसीएस) की ज्वाइंट वेंचर कंपनी एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से की जावेगी।

ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग

- ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये समानान्तर रूप से काउंसिलिंग की जा सकेगी ।

ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग

- ऑनलाईन काउंसिलिंग में निम्नलिखित किसी भी माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं :-

सारणी क्रमांक 1

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अपने घर में इंटरनेट की सुविधा होने पर घर से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य शासन के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/चुनिंदा शासकीय महाविद्यालय/प्रमुख शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आदि जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट [एउचवदसपदमणहवअण्पद](#) पर रहेगी) में स्थित इंटरनेट के सुविधा केन्द्रों से।
- उम्मीदवार के शहर/गाँव में स्थित इंटरनेट कैफे के माध्यम से ।

ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग

❑ जन मानस को होने वाले लाभ:-

- पूर्णतः पारदर्शी
- घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की सुविधा
- अपने गांव/कस्बे/शहर में स्थित इंटरनेट कैफे के माध्यम से काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की सुविधा
- अपने गांव/कस्बे/शहर में स्थित एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की सुविधा
- परम्परागत काउंसिलिंग के दौरान उम्मीदवार तथा उनके अभिभावक को भोपाल अथवा अन्य बड़े शहरों में आने-जाने के यात्राव्यय तथा रुकने के संबंध में होने वाले व्यय की बचत
- सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन होने के कारण निर्धारित काउंसिलिंग तिथियों में प्रत्येक दिन 24 घंटे काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की सुविधा
- पंजीयन एवं सीट आवंटन की जानकारी उम्मीदवारों को ढ़ै एवं म्पस पर तत्काल उपलब्धता
- प्रवेश पूर्णतः पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्यक्रमानुसार जिसके कारण पहले ही चरण की समाप्ति पर कक्षाओं का प्रारंभ
- उम्मीदवारों का समय तथा धन का अपव्यय समाप्त

ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग

प्रक्रिया

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग के पांच स्टेप

(1)	दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)	❖ संयुक्त प्रवेश परीक्षा (व्यापम) में प्राप्तांकों के आधार पर आयोजित की जाने वाली प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उपरोक्त समस्त स्टेप्स अर्थात् 1 से 5 तक का पालन करना होगा
(2)	ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)	❖ अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उपरोक्त स्टेप 2 से 5 तक का पालन करना होगा
(3)	ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)	❖ अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आयोजित की जाने वाली ऑनलाईन काउंसिलिंग में आवेदन उपरांत समस्त श्रेणी (आरक्षित तथा अनारक्षित श्रेणी) के उम्मीदवारों को उपरोक्त सभी स्टेप्स 1 से 5 तक का पालन करना होगा ।
(4)	ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)	
(5)	आवंटित संस्था में उपस्थिति तथा आवंटित संस्था में दस्तावेजों का सत्यापन (Reporting at Alloted Institute and Document Verification)	

दस्तावेजों का सत्यापन

Documents Verification

- प्रथम तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग (व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर आयोजित) में केवल आरक्षित श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों का काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्रों में सत्यापन करवाना होगा ।
- आरक्षित श्रेणी/वर्ग जिन्हें दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है:-
 - मध्यप्रदेश के
 - अनुसूचित जाति (SC)
 - अनु. जनजाति (ST)
 - अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
 - विकलांग श्रेणी (Handicapped)
 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF)
 - सैनिक वर्ग (S)
 - मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री के उम्मीदवारों के लिये तथा
 - जम्मू-कश्मीर विस्थापित व निवासी (J & K Migrant and Resident)

दस्तावेजों का सत्यापन

Documents Verification

- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है
 - मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)@ अनुसूचित जनजाति (ST)@ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) उम्मीदवारों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र
 - नवीनतम आय प्रमाण-पत्र
 - मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) (यदि लागू हो)
 - सैनिक का प्रमाण-पत्र (S) (यदि लागू हो)
 - मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री के उम्मीदवारों के लिये (यदि लागू हो)
 - तकनीकी संवर्ग (टेक्नीकल स्ट्रीम) (TS)
 - विकलांग उम्मीदवारों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
 - जम्मू कश्मीर विस्थापित/निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

दस्तावेजों का सत्यापन

Documents Verification

- महत्वपूर्ण

- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का दायी होगा।
- सहायता केन्द्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे ।
- सहायता केन्द्र, उम्मीदवारों को Eligible/Not Eligible की पावती जारी करेंगे ।
- Not Eligible उम्मीदवार सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर उम्मीदवार अपनी स्वेच्छा से अनारक्षित उम्मीदवार की श्रेणी से काउंसिलिंग हेतु अपना ऑनलाईन पंजीयन करवा सकते हैं ।
- किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाले अर्थात अनारक्षित श्रेणी (Unreserved Category) के उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है वे सीधे अगले स्टेप अर्थात ऑनलाईन पंजीयन करवायेंगे।

ऑनलाईन पंजीयन

Online Registration

- काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा
- ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा
- उम्मीदवार वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएंगे।
- ऑनलाईन पंजीयन हेतु समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये पंजीयन शुल्क रु 520/- (पोर्टल चार्जस 20 रु सहित) देय होगा

ऑनलाईन पंजीयन

Online Registration

- उम्मीदवार निम्नलिखित माध्यमों से ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सम्मिलित हो सकते हैं:-

सारणी क्रमांक 1

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अपने घर में इंटरनेट की सुविधा होने पर घर से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय/राज्य शासन के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/चुनिंदा शासकीय महाविद्यालय/प्रमुख शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आदि जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है) में स्थित इंटरनेट के सुविधा केन्द्रों से।
- उम्मीदवार के शहर/गाँव में स्थित इंटरनेट कैफे के माध्यम से ।

ऑनलाईन पंजीयन

Online Registration

- पंजीयन हेतु प्रक्रिया :-

- उम्मीदवार वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम पर क्लिक करें तथा Registration करावें

- ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये उम्मीदवार को निम्नलिखित डाटा रजिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक होगा:-

- व्यापमं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा का रोल नंबर
- जन्म तिथि
- अर्हकारी परीक्षा का रोल नंबर (यथा 10वीं/12वीं/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर जो भी लागू हो)
- अर्हकारी परीक्षा के पूर्णांक तथा प्राप्तांक
- अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
- अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष

ऑनलाइन पंजीयन

Online Registration

- पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही उम्मीदवार को शुल्क भुगतान की रसीद तथा अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा।

सारणी क्रमांक 2

शुल्क भुगतान करने के विकल्प

- इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर)
 - डेबिट-कम-क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड)
 - भारतीय स्टेट बैंक के पे-स्लिप द्वारा
 - सभी अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नगद भुगतान
 - एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर
- पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही उम्मीदवार को शुल्क भुगतान की रसीद तथा अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा।

ऑनलाईन पंजीयन

Online Registration

● महत्वपूर्ण

- ❑ उम्मीदवार को प्रथमतः प्राप्त पासवर्ड को अनिवार्य रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदल लें तथा बदले हुए पासवर्ड को किसी को न बताएं ।
- ❑ अगली बार उम्मीदवार लॉगईनआईडी (जोकि उसका रोल नंबर तथा जन्म तिथि होगी) तथा अपने पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकेंगे । उम्मीदवार जब भी लॉगईन करे अनिवार्यतः अंत में सुरक्षा की दृष्टि से लॉगआउट भी करे ।
- ❑ सभी उम्मीदवार सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो ।
- ❑ पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में उम्मीदवार के द्वारा पंजीयन के समय जो अतिरिक्त जानकारियां दी गई थी, उनका उपयोग कर डालकर नया पासवर्ड प्राप्त करे
- ❑ उम्मीदवार को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है ।

ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन

Online Preference/Choice Filling

- ❑ उम्मीदवार पाठ्यक्रमवार संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम से चयन करेंगे
- ❑ उम्मीदवार कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे ।
- ❑ जिसे निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क के भुगतान करने पर अंतिम रूप से लॉक किया जा सकेगा ।
- ❑ अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व उम्मीदवार अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं ।
- ❑ शुल्क का भुगतान करने के बाद पसंद/प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा ।
- ❑ अनारक्षित श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार आंशिक शिक्षण शुल्क रु 10080/- (रु. 80/-पोर्टल चार्जस सहित) तथा मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवारों को शुल्क रु 1080/- (रु. 80/-पोर्टल चार्जस सहित) देय होगा ।
- ❑ शुल्क का भुगतान ”सारणी क्रमांक 2 -शुल्क भुगतान करने के विकल्प” मे दर्शाये अनुसार ही करना होगा ।
- ❑ अपनी च्वाइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाइस का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा ।
- ❑ उम्मीदवार इस पावती को संभालकर अपने पास रखें ।

ऑनलाईन आवंटन

Online Allotment

- उम्मीदवारों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा
- आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन-पत्र में रहेगा ।
- उम्मीदवार अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे ।
- संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन होने के पश्चात् निर्धारित समय-सीमा में उम्मीदवार को निम्नलिखित तीन विकल्प में से एक का चयन करना होगा:-
 - संतुष्ट तथा आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम में प्रवेश का इच्छुक (**Satisfied with the allotted Institute/Branch and confirm my admission**)
 - अपग्रेडेशन के लिये इच्छुक तथा अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम में ही प्रवेश का इच्छुक (**Consent for Upgradation otherwise retain the allotted Institution/Branch**)
 - आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम में प्रवेश का इच्छुक नहीं (**Not Interested to take admission in the allotted Institution/Branch**)

ऑनलाईन आवंटन

Online Allotment

महत्वपूर्ण :-

● प्रथम विकल्प का चयन करने पर

- ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रथम विकल्प का चयन किया है वे आवंटन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें तथा प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक आवंटित संस्था में रिपोर्ट करें ।
- ये उम्मीदवार अगले चरण की काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे ।
- इस विकल्प का चयन करने वाले उम्मीदवार यदि निर्धारित अंतिम तिथि तक आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर प्रवेश नहीं लेते हैं तब भी ये उम्मीदवार अगले चरण की काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे ।

● द्वितीय विकल्प का चयन करने पर

- ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने द्वितीय विकल्प का चयन किया है वे अपग्रेडेशन होने तक इंतजार करें ।
- जिन संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये प्राथमिकताक्रम का चयन किया था उनमें से उन्हें आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम के ऊपर की चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिये आवंटन हेतु अवसर मिलेगा तथा अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करें ।
- नये आवंटित संस्था में प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट करें ।
- अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व आवंटित संस्था में ही प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट करें ।
- ये उम्मीदवार भी अगले चरण की काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे ।

● तृतीय विकल्प का चयन करने पर

- जिन उम्मीदवारों ने तीसरे विकल्प का चयन किया है वे प्रथम चरण की काउंसिलिंग से बाहर हो जावेंगे तथा वे अगले चरण की काउंसिलिंग में रुपये 1020/- तथा 80/- शुल्क जमा कर सम्मिलित हो सकते हैं ।

आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं दस्तावेजों का सत्यापन

Reporting at Allotted Institute & Document Verification

- आवंटित संस्था में प्रवेश लेने हेतु उम्मीदवार को अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होगा
- प्रमाण-पत्रों की सूची :-
 - वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिंटआउट
 - अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची
 - 10वीं की मूल अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
 - मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) तथा
 - अन्य आरक्षित श्रेणी/वर्ग से सम्बन्धित दस्तावेज (यदि लागू हो)

आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं दस्तावेजों का सत्यापन

Reporting at Allotted Institute & Document Verification

❑ आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश प्राप्त करना होगा:-

- संस्था के अधिकृत अधिकारी, उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरांत ऑनलाईन उसकी एण्ट्री करेंगे
- रिपोर्टिंग के तुरंत बाद प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट प्राप्त कर संस्था के अधिकृत अधिकारी तथा उम्मीदवार के हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रवेश पर्ची उम्मीदवार को देंगे तथा एक प्रिंटआउट संस्था में रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेंगे
- उम्मीदवार अयोग्य घोषित होने पर Not Eligible की पर्ची प्रिंट होगी जिसे संस्था के अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षरित कर उम्मीदवार को एक प्रति दी जावेगी ।
- Not Eligible उम्मीदवार पुनः उस चरण की रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं ।
- उपस्थित न होने वाले उम्मीदवारों तथा छवज मसपहइपसम उम्मीदवारों की सीटें रिक्त मानी जावेंगी द्वितीय चरण में इन्हें काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जावेगा
- प्रवेश उपरांत संस्था के अधिकृत अधिकारी एवं प्रवेशित उम्मीदवार प्रवेश संबंधी स्टेटस को अपने लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड से अवश्य सुनिश्चित कर लें ।
- किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण-पत्र संस्था में जमा न करें ।
- उम्मीदवारों को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है ।

आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं दस्तावेजों का सत्यापन

Reporting at Allotted Institute & Document Verification

❑ महत्वपूर्ण

- ✓ उम्मीदवार अपना प्रवेश संस्था से निर्धारित अंतिम तिथि (कुलाधिपति द्वारा घोषित) के 7 दिन पूर्व तक निरस्त करवा सकता है तथा नियमानुसार कटौती उपरांत शुल्क वापिस होगी । निर्धारित अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवार को प्रवेशित संस्था से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा
- ✓ जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया है अथवा आवंटन उपरांत प्रवेश के इच्छुक नहीं हैं वे शुल्क वापसी हेतु ऑनलाईन रिफंड के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग

Second Round of Counselling

❑ द्वितीय चरण की काउंसिलिंग

- व्यापम की परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम चरण की काउंसिलिंग के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर द्वितीय चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी जिसमें निम्नलिखित उम्मीदवार सम्मिलित हो सकेंगे-

1. जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो सके थे ।
2. जिन्होंने प्रथम चरण में आवंटन उपरांत तृतीय विकल्प अर्थात "प्रवेश का इच्छुक नहीं" का चयन किया है।
3. उम्मीदवार जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटन पश्चात् तीनों विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं उन्हें नॉट रिपोर्टेड की श्रेणी में माना जावेगा तथा वे इस काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे ।

● महत्वपूर्ण

- उपरोक्त क्रमांक 1 में उल्लेखित उम्मीदवारों को प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया में बताये अनुसार सभी स्टेप्स का पालन करना होगा ।
- क्रमांक 2 एवं 3 की श्रेणी में आने वाले समस्त उम्मीदवारों को पुनःपंजीयन शुल्क 1020/- रू० का भुगतान कर काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। इन्हें प्राथमिकताक्रम के चयन के समय केवल रू 80/- पोर्टल शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा परन्तु आंशिक शिक्षण शुल्क के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है

तृतीय चरण की काउंसिलिंग

Third Round of Counselling

□ तृतीय चरण की काउंसिलिंग

- द्वितीय चरण की काउंसिलिंग पश्चात सीटें रिक्त रहने पर तृतीय चरण की काउंसिलिंग अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर की जावेगी जिसकी विस्तृत प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तत्समय जारी किया जायेगा । इस काउंसिलिंग में निम्नलिखित उम्मीदवार सम्मिलित हो सकेंगे:-
 - जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश (व्यापम) की परीक्षा नहीं दी है ।
 - जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश (व्यापम) की परीक्षा दी है किन्तु प्रथम तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।
 - जिन्हें व्यापम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर आयोजित प्रथम तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन नहीं मिला है ।
 - जिन्होंने व्यापम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर आयोजित प्रथम तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश हेतु तृतीय विकल्प अर्थात "प्रवेश का इच्छुक नहीं" का चयन किया है ।
 - जिन्होंने व्यापम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर आयोजित प्रथम तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन पश्चात संस्था में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तथा अपना प्रवेश संस्था से ऑनलाईन निरस्त करवा लिया है ।

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

- महत्वपूर्ण वेबसाइट Importance Website
 - www.dtempcounselling.org
 - www.mponline.gov.in